206

313

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

286
2.6.14

COURT FEE 20 Rs. भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित/विलोपित

Rs. 20/-

नि0. 1795-III-14

राजकुमार गुप्ता तनय स्व0 छेदीलाल गुप्ता, उम्र 45 वर्ष, निवासी चिरहुला मंदिर के पीछे रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1954 ... पोस्ट द्वारा आज ... प्राप्त

---------निगरानीकर्ता

बनाम

1— श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला पत्नी श्री सिद्धसूदन शुक्ला, निवासी चिरहुला रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

2— शासन म0प्र0

-------गैरनिगरानीकर्तागण

श्री ... एड. द्वारा आज दिनांक 2-6-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध सीमांकन आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर, जिला रीवा प्रकरण क0—95/ए—12/2009—10 आदेश दिनांक <u>20/05/10</u>

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0</u>

मान्यवर,

<u>निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—</u>

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही व प्रकिया विधि के विपरीत होने से आलोच्य आदेश दिनांक 20/05/2010 काविल निरस्तगी के है ।

2— यह कि आराजी नं0—42/1क, आ0नं0—42/1ख, आ0नं0—42/1ग, आ0नं0—42/3, आ0नं0—47/1क एवं आ0नं0—47/4 स्थित ग्राम चिरहुला, तहसील हुजूर, जिला रीवा के सीमांकन वावत् आवेदन रेस्पाडेन्ट क0—1 द्वारा शासन को पक्षकार बनाकर तहसील

2/6/14

(206)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 1795–III / 2014 जिला–रीवा

राजकुमार गुप्ता / लक्ष्मी शुक्ला

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नवल किशोर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 95 / ए–12 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	